<u>अधिकरणः—चौदहवें अपर सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (म.प्र.)</u>
<u>(समक्षः— आर.प्रजापति</u>)

Registration No.	:	MACC 1987/2022
Filing No.	:	MACC 4325/2022
CNR No.	:	MP0701-020743/2022
Filing Date.	:	22-08-2022

मोनू बघेल पुत्र श्री ब्रजेश बघेल, आयु 30 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी (वर्तमान में कुछ नहीं) निवासी ग्राम चिरूली रामरजन का पुरा, टेकनपुर, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

......आवेदक

बनाम

(1) वेदप्रकाश पुत्र श्री रमेश चंद्र, निवासी ग्राम आंतरी, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर।
(चालक मोटर साईकिल कमांक MP07-NK-2932)

(2) मिथुन पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी करे बाल्मीक रानी मौहल्ला, वार्ड नबंर 04, आंतरी तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

(3) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय ज्येन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर द्वारा मंडल प्रबंधक।

........अनावेदकगण

आवेदक द्वारा —अधिवक्ता श्री संतोष सिंह परमार।
अना.कं.1 व 2 द्वारा —अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार ।
अना.कं.3 द्वारा —अधिवक्ता श्री एस.एन.सिंह।

1- Date of accident :-	08.06.2022
2- Name of the deceased	मोनू बघेल
3- Age of the deceased	30 वर्ष

4- Occupation of the deceased	मजदूर
5- Income of the deceased	5,000 / —रूपये प्रतिमाह
6- Name age and relationship of legal representatives of deceased :	

S.No.	Name	Age	Relation
NIL	NIL	NIL	NIL

	Computation of Compensation	
S.No.	Heads	Awarded by the tribunal
7	Income of the Deceased/Injured (A)	5,000 / —रूपये प्रतिमाह
8	Add Future Prospects (B)	नहीं।
9	Less Personal Expenses of the Deceased (C)	नहीं।
10	Monthly loss of dependency {A+B)-C=D}	कुल 5,000 / —रूपये
11	Annual loss of dependency {D*12}	निल
12	Multiplier (e)	निल
13	Total loss of dependency {D*12**E=F}	33,503 / —रूपये
14	Medical Expenses (G)	17,223 / —रूपये
15	Compensation For loss of consortium (H)+(J)	निल
16	Compensation For loss of Estate	निल
17	Compensation towards funeral expense (J)	निल
18	Total Compensation	33,503 / —रूपये भरो और वसूल करों के सिद्वांत पर।
19	Rate of Interest Awarded	6%

20	Interest amount up to the date of award(L)	उपरोक्तानुसार
21	Toatal amount including interest (K+L)	उपरोक्तानुसार
22	Award amount released	नहीं।
23	Award amount kept in FDRS	नगद
24	Mode of Disbursement of the award amount to the claimants	नगद
25	Next date for compliance of the award	दो माह

:: अधिनिर्णय ::

(आज दिनांक 08/10/2024 को घोषित)

1. आवेदक मोनू बघेल की ओर से अनावेदकगण के विरूद्व धारा–166 मोटरयान अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वह 30 वर्षीय स्वस्थ्य, हष्टपुष्ट, नवयुवक होकर घरों में टाईल्स लगाने का कार्य करके 18,000/–रूपये प्रतिमाह आय अर्जन कर स्वयं अपना तथा अपने परिजनों का भरण पोषण करता था। दिनांक 08.06.2022 को लगभग प्रातः 5:00 बजे वह अपने मामा नंदकिशोर के साथ मोटर साईकिल क्रमांक MP07-MF-2869 से डबरा से अपने गॉव चिरूली आ रहे थे, उनकी मोटर साईकिल का पेट्रोल खत्म होने पर वे मोटर साईकिल को रोड पार कर शान ए पंजाब होटल पर खडे होकर गुटखा खाने लगे, तभी पीछे से मोटर साईकिल क्रमांक MP07-NK-2932 (जिसे अग्रिम कंड़िकाओं में सुविधा की दृष्टि से वाहन संबोधित किया जायेगा) का चालक उक्त मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और आवेदक में टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया, उसके मुॅह तथा माथे वह शरीर में गंभीर चोटें आई। उसे उपचार हेतु सिविल अस्पताल डबरा ले जाया गया, जहॉ उपचार की समुचित व्यवस्था न होने पर उसे ग्वालियर रैफर किया गया।

2.अ. दुर्घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र डबरा जिला ग्वालियर में किये जाने पर अपराध क्रमांक 530/2022 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. पंजीबद्व किया गया, विवेचना के दौरान अना.क्रं.–01 को गिरफ्तार किया जाकर वाहन को जप्त किया गया,

जिसे अना.क्रं.–02 द्वारा न्यायालय से सुपुदर्गी पर प्राप्त किया गया, अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2.ब. दुर्घटना में आई चोटों के कारण आवेदक को अमरनाथ हॉस्पीटल ग्वालियर में भर्ती किया गया, जहॉ उसके मुॅह का ऑपरेशन किया गया, साथ ही सिर तथा ऑख के नीचे प्लेटे डाली गई, बॉये पैर के घुटने की ड्रेसिंग की गई। आवेदक उक्त अस्पताल में दिनांक 08.06.2022 से दिनांक 23.06.2033 तक भर्ती रहा, वर्तमान में उसका उपचार जारी है तथा भविष्य में उपचार चलता रहेगा। उपचार के दौरान उसे मंहगी दवाये, खून की बोतल, विशेष आहार, आवागमन आदि में उसका काफी रूपया व्यय हुआ है, उसे उपचार के दौरान नित्य कार्यो के लिए एक अटेण्डर को रखना पडा, जिसमें उसका एक लाख रूपये खर्च हुआ। दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसे चलने–फिरने उठने बैठने में परेशानी का सामना करना पडता है, उसका चेहरा अभद्र हो गया है, वह स्वयं को अपमानित महसूस करता है, उसके चेहरे का ऑपरेशन होने के कारण उसके सिर में दर्द व सुन्नपन तथा झुनझुनी बनी रहती है। उसके दॉये पैर में गंभीर चोट होने के कारण चलने–फिरने वजन न उठाने का परामर्श दिया गया। दुर्घटना में आई चोट के कारण वह स्थाई रूप से अशक्त हो गया, जिस कारण वह अपना टाईल्स लगाने का व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, इससे उसे आर्थिक क्षति हो रही है। आवेदक ने अनावेदकगण से उसे दुर्घटना में कारित उपहतियों के परिणाम स्वरूप संयुक्ततः व पृथक 27,50,000/–रूपये क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने हेतु यह क्लेम आवेदन पेश किया है।

3. अना.क्रं.–01 व 02 की ओर से क्लेम आवेदन पत्र का जबाव प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को लगभग अस्वीकार किया जाकर विशेष आपत्तियों में यह अभिवचन किये गये हैं कि उनके वाहन से आवेदक के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। आवेदक द्वारा मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के आशय से यह मिथ्या क्लेम आवेदन पेश किया गया है, दुर्घटना दिनांक को उनकी मोटर साईकिल अना.क्रं.–03 के यहॉ बीमित थी, यदि उनके वाहन से दुर्घटना होना प्रमाणित पाया जाता है तब क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी का दायित्व अना.क्रं.–03 का रहेगा। आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

4. अना.क्रं.–03 की ओर से क्लेम आवेदन का जबाव पेश कर आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को लगभग अस्वीकार किया जाकर अतिरिक्त आपत्तियों में यह अभिवचन किये गये हैं कि दुर्घटना की रिपोर्ट अना.क्रं.–01 व 02 तथा पुलिस से मिलकर 04 दिवस पश्चात् लेख कराई गई है। वाहन को उसके चालक अना.क्रं. –01 द्वारा बिना वैध चालन अनुज्ञापत्र, फिटनेस के बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लघंन

में चलाया जा रहा था। आवेदक स्वयं मोटर साईकिल क्रमांक MP07-NK-2932 को बिना हेलमेट पहने बिना चालन अनुज्ञा पत्र के लापरवाही पूर्वक चला रहा था तथा सडक पार करते समय किसी अज्ञात वाहन के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। प्रकरण में योगदाई उपेक्षा यदि प्रमाणित पाई जाती है तब क्षतिपूर्ति का निर्धारण अनुपातिक रूप से किया जाना चाहिए। दुर्घटना के समय अना.क्रं.–01 के पास वाहन चालन का अनुज्ञापत्र नहीं था, आवेदक एवं अना.क्रं.–01 व 02 की आपस में दुरभिसंधि है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष के अभिवचन के आधार पर मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित वादविषय विरचित किये गये, जिनकी विवेचना उपरांत निष्कर्ष उनके समक्ष मेरे द्वारा अभिलिखित किये जा रहे हैं :–

क्रमांक	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1.	क्या दिनांक 08.06.2022 को शान ए पंजाब होटल के सामने, डबरा पुलिस थाना डबरा क्षेत्रान्तर्गत जिला ग्वालियर (म.प्र.) में अना.क्रं.–01 ने मोटर साईकिल क्रमांक MP07-NK-2932 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाते हुए आवेदक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की ?	**''प्रमाणित''**
2.	क्या उक्त दुर्घटना में आवेदक को गंभीर चोटें आकर स्थाई निःशक्तता कारित हुई, यदि हॉ तो क्या उसकी आय अर्जन की क्षमता विपरीत रूप से प्रभावित हुई है ?	**''प्रमाणित नहीं''**
3.	क्या दुर्घटना दिनांक को अना.क्रं.–01 ने बिना वैध व प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस के मोटर साईकिल क्रमांक MP07-NK-2932 को चलाकर या अन्यथा बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लघंन किया ?	**''प्रमाणित''**
4.	क्या दुर्घटना आवेदक की योगदाई/संयुक्त उपेक्षा का परिणाम थी, यदि हॉ तो प्रभाव ?	10% योगदाई उपेक्षा प्रमाणित

5.	क्या आवेदक दुर्घटना में कारित चोटों की क्षतिपूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है ? यदि हॉ तो कितनी और किस अनावेदक से ?	**33,503/—रूपये भरो और वसूल करों के सिद्वांत के आधार पर**
6.	सहायता एवं व्यय ?	**अंतिम कंडिका अनुसार**

::: <u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार</u> :::

6. न्याय दृष्टांत **विमला देवी एवं अन्य बनाम हिमाचल रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन एवं अन्य ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 2819 एवं परमेश्वरी बनाम अमीरचंद्र एवं अन्य ए.आई.आर. 211 एस. सी. 1504** में दिये गये मार्गदर्शन अनुसार घटना के समय किस वाहन चालक की लापरवाही थी, यह अधिसंभावनाओं के आधार पर प्रमाणित करना होता है। इसमें कठोरता से लापरवाही प्रमाणित करने का सिद्धांत फौजदारी मामलों की तरह लागू नहीं होता, जैसा कि इस प्रकरण में परिस्थिति उत्पन्न हुई है।

7. इस प्रकरण में आवेदक रामरजन का पुरा चिरूली टेकनपुर डबरा जिला ग्वालियर का रहने वाला है, अना.क्रं.—01 व 02 ग्राम आंतरी, तहसील डबरा जिला ग्वालियर के रहने वाले हैं तथा अना.क्रं.—03 जयेन्द्रगंज लश्कर, ग्वालियर थाना जयेन्द्रगंज में व्यवसाय करती है। प्रकरण में क्षेत्राधिकार पर अनावेदक की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है। पूर्व विद्वान न्यायाधीश द्वारा फाइलिंग सैक्सन से आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक कथन लेकर दिनांक 07.12.2022 को इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार मानते हुए उसे पंजीयन कर दिया है, तब दोनों पक्ष ग्वालियर जिले के निवासी होने के नाते क्षेत्राधिकार पर कोई विरोध न होने के कारण ग्वालियर जिले के अधिकरण को विचारण क्षेत्राधिकार बताते हुए पेश किया गया है, जिस पर कोई आपत्ति न होने के कारण अंतिम तर्क सुने जाने के पश्चात् इस प्रकरण को पुनः ग्वालियर जिले के अन्य क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के समक्ष विचारण हेतु भेजना न्यायालय उचित नहीं पाती। इसलिए इसे सद्भाविक रूप से इसी अधिकरण का क्षेत्राधिकार मानकर निराकरण किया जा रहा है।

::: <u>विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष</u> :::

<u>वाद विषय क्रमांक —01, 02 व 04</u> :—

8. इन बिंदुओ को प्रमाणित करने का भार आवेदक पर है। इसके संबंध में (आ.सा.—01) राजकुमार सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह थाना डबरा में ए.एस. आई के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा अपराध क्रं. 530/2022 दिनांक 12.6.2022 की विवेचना प्राप्त होने पर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन पेश किया था, जो प्र.पी.—21

है, जो पेज क्रं. 01 से 21 है।

9. आ.सा.–02 द्वारा कथन में बताया गया है कि दिनांक 06.08.2022 को 5:00 बजे शाम वह डबरा से घर आ रहा था, तभी पंजाब होटल के पास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने पहुॅचा और गुटखा खरीदने के लिए दुकान गया था, वहॉ से वापस आ रहा था, तभी एक काले रंग की मोटर साईकिल क्रमांक MP07-NK-2932 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से उसे टक्कर मार दिया, जिससे उसके मुॅह व सिर में चोट आई। उसे डबरा अस्पताल ले जाया गया था, इसके बाद उसे ग्वालियर रैफर कर दिया गया तो उसका अमरनाथ अस्पताल में इलाज हुआ था जिसके दस्तावेज प्र.पी.–01ए पृष्ठ क्रं–01 से 22 प्रस्तुत किया है, इलाज के बिल और पर्चे प्र.पी.–02 से 21 हैं।

10. प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने कंड़िका–04 में नक्शा के विपरीत कथन देते हुए बताया है कि ग्वालियर से डबरा जाने के लिए रोड़ क्रॉस करके वह पेट्रोल डलवाने के लिए दूसरे तरफ गया था अर्थात कंड़िका–04 व 05 के कथन के अनुसार यह आहत स्वयं गलत दिशा में गया था, ऐसी स्थिति में यू–टर्न आगे होने से वे जल्दबाजी में गलत दिशा में चले गये थे, तभी यह दुर्घटना घटी, लेकिन इससे अना.क्रं.–01 वाहन चालक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता।

11. प्रश्नगत वाहन के विरूद्ध उपलब्ध अभिलेख अनुसार दिनांक 08.06.2022 की घटना होने के बाद दिनांक 12.06.2022 को नंदकिशोर द्वारा रिपोर्ट की गई थी, उस साक्षी को अधिकरण के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। प्र.पी.–01 धारा 171 द.प्र.सं. की रिपोर्ट के साथ सलंग्न दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि फरियादी नंदकिशोर के साथ आहत मोनू साक्षी भारत, राकेश का कथन लिया गया है। घटना में प्रश्नगत वाहन घटना स्थल से जप्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की क्षति के निशान नहीं पाये गये, दी गई साक्ष्य के अनुसार दोनों वाहन आपस में आमने सामने नहीं टकराये थे, वाहन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ऐसी परिस्थिति में आहत की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेज में आहत लगभग 10 दिन चोट के कारण अस्पताल में भर्ती था।

12. प्रश्नगत वाहन से दुर्घटना नहीं घटी, प्रश्नगत वाहन अन्यत्र था, इस संबंध में अना.क्रं.–01 व 02 की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में भले ही आहत की गलती रही हो तो अना.क्रं.–01 की गलती कम नहीं हो जाती, उसके द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर घटना कारित किया जाना अखंडित रह गया है, क्योंकि उसकी ओर से इस बिंदु पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को कोई परिवाद

नहीं किया गया। उसके विरूद्ध अभियोग पत्र भी पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में आहत की 10% प्रतिशत लापरवाही मानते हुए 90% प्रतिशत की लापरवाही अना.क्रं.–01 की मानी जायेगी और चूँकि अना.क्रं.–02 के वाहन को अना.क्रं.–01 लापरवाही से चला रहा था, उसी दौरान दुर्घटना हुई थी, तब अना.क्रं.–02 का वाहन अना.क्रं.–03 के यहॉ बीमित था तो उसके लिए तीनों को क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु निर्धारित प्रतिशत के अनुसार जिम्मेदार माना जायेगा।

13. प्रश्न यह है कि देर से घटना की रिपोर्ट करने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण देकर आवेदक एवं अना.क्रं.–01 व 02 की दुरभिसंधि स्पष्ट नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में आहत केवल 10 दिन भर्ती रहा, ऐसी स्थिति में आहत को अंतिम प्रतिवेदन को देखते हुए घटना के दौरान साधारण चोट आना प्रमाणित माना जायेगा। अतः बिंदु क्रं. –02 का निष्कर्ष **''गंभीर उपहति व स्थाई निःशक्तता प्रमाणित नहीं''** देकर बिंदु क्रं.–01 का निष्कर्ष **''प्रमाणित''** में दिया जा रहा है और बिंदु क्रं.–04 का निष्कर्ष **''आवेदक की 10% लापरवाही प्रमाणित''** में दिया जा रहा है।

वाद विषय क्रमांक 03 :–

14. जहॉ तक बिंदु क्रं.–03 का प्रश्न है, वहॉ आवेदक की ओर से दी गई साक्ष्य और बिंदु क्रं.–04 के संबंध में दिये गये निष्कर्ष को देखते हुए बिंदु क्रमांक –03 का निष्कर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें अना.क्रं.–01 व 02 की ओर से बीमा पॉलिसी प्र.डी.–01 और चालन अनुज्ञा पत्र प्र.डी.–02 को स्वीकृत करने पर अना.क्रं.–01 की साक्ष्य उसी तरह पेश की गई है, उसे देखते हुए चालन अनुज्ञा पत्र में मोटर साईकिल चलाने के लिए अना.क्रं.–01 अधिकृत नहीं था, ऐसी स्थिति में **(न्यायदृष्टांत 2008 टी.ए. सी. 801) (एससी ओरिऐण्टल कंपनी लिमिटेड बनाम जहारूलनिशा एवं अन्य) सिविल अपील 3055/2008 निर्णय दिनांक 29.04.2008** के मार्गदर्शन में बीमा की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए भरो और वसूल करों का सिद्धांत लागू करते हुए बीमा की शर्तो का उल्लघंन प्रमाणित पाया गया है। अतः बिंदु क्रं.–03 का निष्कर्ष **''आंशिक तौर पर प्रमाणित''** में दिया जा रहा है।

अन्य बिंदुओं पर सकारण निष्कर्ष :–

15. **न्यायदृष्टांत ओरिएंटल इंश्योरेंस कं.लि. बनाम पृथ्वीराज ए.आई.आर 2008 एस.सी. 1408** के मार्गदर्शन में इस प्रकरण में भरो और वसूल करो का सिद्धांत लागू होगा प्रकरण में प्रश्नगत वाहन बीमित था, इसलिए जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होना चाहिए, परंतु बीमा की शर्तों का उल्लघंन करने पर यह जिम्मेदारी भरो और वसूल करों के

सिद्धांत के आधार पर अना.कं.–01 व 02 पर होगी, तब यह राशि कितनी होगी, इस पर विचार करने के बाद आहत के 10 दिन भर्ती रहने पर उसके द्वारा इलाज के संबंध में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज में प्र.पी.–02 का दस्तावेज एम.आर.आई के लिए 8600/–रूपये अन्य इलाज प्र.पी.–03 के अनुसार 500/–रूपये, प्र.पी.07 के अनुसार एम.आर.आई के लिए 5500/–रूपये, प्र.पी.–16 के अनुसार 2,623/–रूपये उचित माना जा रहा है, परंतु प्र.पी.–15, पी–17 से प्र.पी.–21 में कोई हस्ताक्षर सील कैमिस्ट की नहीं है, इसलिए उसे विधिवत् प्रमाणित नहीं माना जा रहा है। इस कंडिका का योग 17,223/–रूपये होता है।

16. इसके अलावा प्र.पी.–04, पी–05, पी–06, पी.–08 से प्र.पी–14 किसलिए अदा किये गये, यह स्पष्ट नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त बिल को साधारण उपहति में नहीं जोडा जायेगा। आहत को 10 दिन भर्ती रहने में उसकी मजदूरी का नुकसान का अनुमान लगाकर 5,000/–रूपये आय की हानि भर्ती रहने में आने जाने का खर्च, पौष्टिक आहार 5,000/–रूपये, शारीरिक मानसिक पीड़ा के लिए 10,000/–रूपये लगाकर कुल 20,000/–रूपये के साथ पूर्व कंड़िका का इलाज का 17,223/–रूपये खर्च जोडने के बाद क्षतिपूर्ति राशि 37,223/–रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसका 10% आहत की स्वयं की लापरवाही का 3,720/–रूपये घटाने पर यह राशि 33,503/–रूपये आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

17. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया क्षतिपूर्ति दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर यह प्रमाणित पाती है कि आहत को आवेदित घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रश्नगत मोटर साईकिल क्रमांक MP07-NK-2932 के चालक की लापरवाही से साधारण उपहति हुई थी, जिसमे वाहन बिना चालन अनुज्ञा पत्र के उसका चालक बीमा की शर्तों के उल्लंघन में चला रहा था, इसलिए आकलित की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर आवेदक अना.कं.–03 से भरो और वसूल करों के सिद्धांत पर अथवा अना. कं.–01 व 03 से उक्त क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्षतिपूर्ति दावा आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिनिर्णीत किया जाता है :–

1. आवेदक, अना.कं.–03 बीमा कंपनी से 33,503/–रूपये क्षतिपूर्ति राशि भरो और वसूल करों के सिद्धांत के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. प्रकरण की परिस्थिति अनुसार आवेदक का वाद व्यय 1,000/–रूपये अना.क्रं.–01 व 02 वहन करेगें तथा अनावेदकगण अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगें।

3. यह राशि अधिनिर्णय के पश्चात् दो माह के अंदर आवेदक को प्रदान की जावे, यदि समयावधि में नहीं दी जाती है तो इस पर अना.क्रं. –03 द्वारा आवेदन दिनांक से 6% प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।

4. यह राशि बीमा होने की दशा में पहले अना.क्रं.–03 आवेदक को अदा करेगा फिर सम्पूर्ण राशि अना.क्रं.–01 व 02 से वसूल कर सकेगा।

5. यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है तो मुजरा की जावे।

18. तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–
(आर. प्रजापति)
चौदहवे मोटर दुर्घटना दावा
जिला ग्वालियर म.प्र.

RAMGOPAL PRAJAPATI
Digitally signed by RAMGOPAL PRAJAPATI
Date: 2024.10.08 17:21:25 +0530

सही/–
(आर. प्रजापति)
चौदहवें मोटर दुर्घटना दावा
जिला ग्वालियर म.प्र.